09/06/22 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी अनुपस्थित। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ताणा तहसील भूपालसागर में कृषि आराजियात खाता संख्या 406 में कुल किता 42 रकबा 54.53 हैक्टेयर स्थित थी, जिसमें मेघा पिता चेंदाजी गाडरी निवासी उदा का खेड़ा का 9/40 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा तथा 9/41 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा स्थित था और उक्त हिस्सा मेधा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रतिवादी नं. 1, 2 गोदा व वेणा के नाम पर अंकित हुआ और उन्होंने उक्त 9/40 व 9/41 कुल रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा को दिनांक 02.07.2008 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तादादी 16 लाख रूपया में विक्रय कर वादिया को कब्जा सौंप दिया तथा उक्त क्रयशुदा आराजियात जरिये ईन्तकाल नं. 394 दिनांक 06.10.2008 के वादिया के नाम पर अंकित हो गई व जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067 में इसका अंकन किया गया। उक्त जमाबंदी का रोटेशन बदल कर सम्वत् 2068 से 2071 कायम किया गया मगर भूल से केवल 9/41 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा ही वादिया के नाम पर दर्ज की गई और 9/40 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा पुनः मेघा पिता चंदा गाड़री के नाम पर दर्ज कर दी गई जो गलत है तथा उक्त 9/40 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भी वादिया के नाम पर अंकित किया जाना चाहिये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी दिनांक 18.02.2020 को हुई किन्तु न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही दिनांक 07.04.2022 को की गई। प्रकरण में पैरोकार सरकार ने अपना जवाब दिनांक 11.04.2022 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वाद पत्र में वादिया द्वारा ग्राम ताणा के तात्कालीक खाता संख्या 406 कुल किता 42 रकबा 54.53 हैक्टेयर में से गोदा, वेणा पिता मेघा गाड़री निवासी उदाखेड़ा के नाम दर्ज 9/40 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, 9/41 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा को दिनांक 02.07.2018 को जरिये रजिस्टर्ड [illegible] के क्रय किया गया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 394 दिनांक 06.10.[illegible]8 [illegible] मेरे नाम दर्ज हो गई परन्तु जमाबंदी का नया रोटेशन (2068–71) बनाते [illegible] भूल से केवल 9/41 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा ही नाम दर्ज हुआ व 9/40 [illegible] रकबा 15 बीघा 10 [illegible] नाम दर्ज होने से रह गया। पुनः विक्रेता के नाम दर्ज हो गई जो सही कराया जावे। प्रकरण के संबंध में रिकार्ड का अवलोकन नामान्तरकरण संख्या 394 व जमाबंदी खाता रोटेशन 406/2064–67 व 431/2068–71 करने पर पाया कि प्रकरण धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (घोषणात्मक वाद) का नहीं होकर पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.10 12:40:52 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

की सहवन से लिपिकीय त्रुटि का है जो लेण्ड़ रिकार्ड रूल्स, 1956 के नियम 166 से पोषित होकर तहसीलदार स्तर से निस्तारित होना है। अतः वाद खारिज फरमाया जावे। वकील वादी ने प्रार्थिया श्रीमती मधु शर्मा का शपथ पत्र पेश किया, जो पत्रावली पर पी. डब्ल्यू. 1 होकर दिनांक 07.04.2022 को रिकार्ड पर लिया गया, दस्तावेज प्रदर्श किये जो कि विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2064–2067 प्रदर्श 2, जमाबंदी की नकल सम्वत 2068–71 प्रदर्श 3 तथा प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 4 हैं।

पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पैरोकार सरकार के जवाब से स्पष्ट है कि वक्त रोटेशन नामान्तरकरण संख्या 394 व जमाबंदी खाता रोटेशन 406/2064–67 व 431/2068–71 अनुसार पटवारी की सहवन से लिपिकीय त्रुटि का है जो लेण्ड़ रिकार्ड रूल्स, 1956 के नियम 166 से पोषित होकर तहसीलदार स्तर से निस्तारित होना है। वाद में भूप्रबंध की त्रुटि नहीं होने से वाद धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (घोषणात्मक वाद) के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादीगण लिपिकीय त्रुटि होने से तहसील स्तर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.10 12:40:52 IST
Reason: SelfAttested